www.abcaus.in

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, the 19th March, 2020

G.S.R. _____(E).— In exercise of the powers conferred by sections 173, 177, 178 and section 186 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, rule 4 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) For the period beginning from the commencement of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2020 and ending on the 30th June, 2020, the meetings on matters referred to in sub-rule (1) may be held through video conferencing or other audio visual means in accordance with rule 3.".

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

19/3/2020

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 240(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended as follows:-

1. G.S.R. 398 (E), dated the 12th June, 2014;
2. G.S.R. 590 (E), dated the 14th August, 2014;
3. G.S.R. 206 (E), dated the 18th March, 2015;
4. G.S.R. 971(E), dated the 14th December, 2015;

www.abcaus.in

5. G.S.R. 309 (E), dated the 30th March, 2017;
6. G.S.R. 880 (E), dated the 13th July, 2017;
7. G.S.R. 429 (E), dated the 7th May, 2018;
8. G.S.R. 777 (E) dated the 11th October, 2019; and
9. G.S.R. 857 (E) dated the 18th November, 2019.

www.abcaus.in

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 19 मार्च, 2020

सा.का.नि. ______(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, धारा 177, धारा 178 और धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में, मौजूदा नियम 4 को इसके उप-नियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और यथा पुनःसंख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2020 के प्रारंभ होने से लेकर 30 जून, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, नियम 3 के अनुसरण में, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों के माध्यम से किया जा सकता है।"

[फा.सं.1/32/2013-सीएल-V-भाग]

के.वी.आर.मूर्ति
19/3/2020

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 240(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए :

1. सा.का.नि. 398(अ), तारीख 12 जून, 2014;
2. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 14 अगस्त, 2014;
3. सा.का.नि. 206(अ), तारीख 18 मार्च, 2015;
4. सा.का.नि. 971(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2015;

www.abcaus.in

5. सा.का.नि. 309(अ), तारीख 30 मार्च, 2017;
6. सा.का.नि. 880(अ), तारीख 13 जुलाई, 2017;
7. सा.का.नि. 429(अ), तारीख 7 मई, 2018;
8. सा.का.नि. 777(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2019; और
9. सा.का.नि. 857(अ), तारीख 18 नवंबर, 2019